कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
Email-rscelluk@gmail.com

संख्या 3890 /प्रवर्तन/स0सु0/1–8(7)/2022 दिनांक: 28 सितम्बर, 2022

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यायल, उत्तराखण्ड
देहरादून।
2. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक,
शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क सुरक्षा कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के दृष्टिगत **हित धारक विभागों (परिवहन, पुलिस, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)** से वर्ष 2022 एवं 2023 हेतु प्राप्त कार्ययोजना संकलित करते हुये संलग्न कर शासन स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

शासन द्वारा सम्बन्धित कार्ययोजना पर अपने पत्र संख्या–66311/2022 दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में कार्ययोजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैः–

"Action Plan shall be reviewed with clearly defined targets under each of the safety pillar, monitor and update periodically."

अतः शासन द्वारा वर्ष 2022 एवं 2023 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया कार्ययोजना का अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 3490 **(1)/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(7)/2022 समदिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/परिवहन/शिक्षा/लोक निर्माण/चिकित्सा विभाग परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. वैयक्तिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त को परिवहन आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून/हल्द्वानी/नैनीताल/अल्मोड़ा।
7. समस्त, सचिव, जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सदस्य लीड एजेन्सी सम्बन्धित विभाग।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कार्ययोजना।

स्तम्भ–1 सड़क सुरक्षा प्रबन्धन– संस्थागत एवं क्षमता विकास

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना, जिसमें परिवहन, लोक निर्माण, चिकित्सा, गृह आदि विभागों के सचिव सम्मिलित होंगे।	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित की जानी है।	अधिसूचित वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित की जाती है।	अधिसूचना संख्या–316/ix–1/25/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।
2	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाना।	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित वर्ष में 02 बैठकें आयोजित की जानी है।	अधिसूचित वर्ष में 02 बैठकें आयोजित की जानी है।	अधिसूचना संख्या– 549(1)/ix –1/23(2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
3	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाना।	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित वर्ष त्रैमासिक आधार पर कम से कम 04 बैठक	अधिसूचित वर्ष त्रैमासिक आधार पर 04 बैठक	अधिसूचना संख्या– 549/ ix–1 23 (2014)/2017 दि0 24–07 –2017 के अन्तर्गत जिलाधि– कारियों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
4	सड़क सुरक्षा निधि का गठन किया जाना, जिसके माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य किये जायें।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर कार्यवाही	निरन्तर कार्यवाही	अधिसूचना संख्या–840/ix–1/ 79 (2016)/2017टी0सी0 दि0 20 –11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 प्रख्यापित कर दी गई है।
5	राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित किया जाना	परिवहन विभाग	समस्त स्टेक होल्डर विभाग	सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार कार्यवाही गतिमान	निरन्तर कार्यवाही	अधिसूचना संख्या–98/ix–1/ 26/2015 दिनांक 09–02–2016 के अन्तर्गत राज्य में सड़क सुरक्षा नीति को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए **उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित** कर दी गई है।
6	सड़क दुर्घटना सूचना तन्त्र का विकास किया जाना।	परिवहन/ पुलिस/ स्वास्थ्य /जिला प्रशासन	परिवहन/ पुलिस/ स्वास्थ्य /जिला प्रशासन	राज्य में Integrated Road Accidents Data-base (i-RAD) project लागू किये जाने हेतु State Admin, Distt Admin, तथा Field officer की आई0 डी0 बनाकर Data feed करवाना।	निरन्तर	राज्य में घटित प्रत्येक दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है। Integrated Road Accidents Database (i-RAD) project लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर लीड़ एजेन्सी से सम्बन्धित स्टेक होल्डर विभाग एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के लॉगइन id password तैयार करते हुए project को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
7	प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का इन्वेस्टिगेशन किया जाये, रिपोर्ट तैयार की जाये तथा इसके आधार पर पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जायें।	पुलिस विभाग	परिवहन लो0नि0वि0	निर्देश प्रसारित	निर्देश प्रसारित	ऐसी सड़क दुर्घटनाओं जिसमें 02 या 02 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने वाली प्रत्येक घातक दुर्घटना पर सम्बन्धित जनपद के प्रभारी को स्वयं घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। 02 या 02 से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं को विशेष अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है।
8	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 135 के अन्तर्गत दुर्घटनाओं के मामलों में सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु समिति का गठन	पुलिस, परिवहन	लो0नि0वि, PMJSY, NHAI, बी0आर0ओ0	निरन्तर कार्यवाही	निरन्तर कार्यवाही	सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला सचिव, परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 640 / (79 / IX–1 / 2016) / 2021 दिनांक 16 दिसम्बर 2021 के द्वारा गठित सड़क दुर्घटना जांच समिति के कार्य के सम्बन्ध में जनपदों को निर्देशित किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिसमें परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सदस्य नामिति किये गये है।

स्तम्भ–2 चालकों में दक्षता एवं क्षमता विकास

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	वर्तमान में स्थापित एवं संचालित चालक प्रशिक्षण स्कूलों का आधुनिकीकरण	परिवहन विभाग	समस्त ट्रेनिंग स्कूल	व्यवस्था का अनुश्रवण	व्यवस्था का अनुश्रवण	प्रत्येक स्कूल में सिमुलेटर्स, बायोमिट्रिक अटेण्डेन्स की स्थापना एवं सारथी 4.0 से जोड़े जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
2	सभी परिवहन कार्यालयों में चालकों की परीक्षा हेतु सिमुलेटर्स की स्थापना	परिवहन विभाग	–	03 कार्यालय	03 कार्यालय	वर्तमान में 13 परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स की स्थापना कर दी गयी है।
3	संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना	परिवहन विभाग	–	भूमि का चिन्हीकरण	भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही एवं साईट पर निर्माण	हरिद्वार में निर्माण कार्य पूर्ण, बाउण्ड्रीवॉल के लिये स्वीकृति, संचालन के लिये प्रस्ताव शासन को प्रेषित। देहरादून में निर्माणाधीन। टिहरी, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, कोटद्वार एवं काशीपुर कुल 06 स्थानों पर भूमि चयनित एवं विभाग को हस्तान्तरित। रूद्रप्रयाग–भूमि चिन्हित, हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
4	शिक्षार्थी लाईसेन्स जारी करने से पूर्व आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा लिया जाना।	परिवहन विभाग	–	लागू /निरन्तर कार्यवाही	लागू /निरन्तर कार्यवाही	वर्तमान में सभी कार्यालयों में उक्त सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है।
5	व्यावसायिक लाईसेन्सों के नवीनीकरण से पूर्व चालकों को 02 दिवसीय (भारी वाहन) एवं 01 दिवसीय (हल्का वाहन) रिफ्रैशर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना।	परिवहन विभाग	–	लागू	लागू	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के अन्तर्गत उक्त व्यवस्था कर दी गयी है। **वर्ष 2021 तक 799** वाहन चालकों को रिफ्रैशर कोर्स प्रदान किया जा चुका है।
6	समय–समय पर चालकों के स्वास्थ्य की जॉच कराना।	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	वार्षिक कैम्प	वार्षिक कैम्प	–
7	चालकों/परिचालकों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	लागू किया जाएगा	लागू किया जाएगा	–

स्तम्भ–3 सुरक्षित वाहनः वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	वाहनों की नियमित जॉच हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Inspection and Certification Centre) की स्थापना।	परिवहन विभाग	–	भूमि का चिन्हीकरण	टेस्टिंग लेन का निर्माण	ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन का निर्माण हरिद्वार एवं हल्द्वानी में MoRTH के सहयोग से किया जा रहा है। जिसमें ए0आर0ए0आई0 कन्सलटेन्ट एजेन्सी नामित की गयी है तथा मण्डी परिषद सिविल कार्य हेतु संस्था नामिति की गयी है। देहरादून एवं रूद्रपुर में लोक निजी सहभागिता के आधार (आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। पर्वतीय/दूरस्थ क्षेत्रों के लिये मोबाईल लेन प्रस्तावित।
2	फिटनेस के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर	निरन्तर	–

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
3	फिटनेस कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान कराना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर	निरन्तर	समय–समय पर ए0आर0 ए0आई0, आई0आई0पी0 आदि में प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों को भेजा गया है।
4	तीव्र गति से वाहन संचालन की रोकथाम हेतु व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस की स्थापना कराया जाना एवं राज्य/संभाग /उप संभाग स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।	निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।	वर्ष 2021 में माह दिसम्बर तक **11915** व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस लगाया जा चुका है।
5	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 118 में विहीत मानकों के अनुसार व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाया जाना और वाहन फिटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।	निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।	वर्ष 2021 में माह दिसम्बर तक **102210** व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जा चुके है।

स्तम्भ–4 सुरक्षित सड़कों की स्थापना एवं अनुरक्षण

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों हेतु Indian Road Congress द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन कराया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों के सम्बन्ध में उक्त मानकों का पालन किया जा रहा है और इसे डीपीआर/ड्राईंग/डीजाईन स्टेज पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
2	सभी राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर IRC Standard के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनबोर्ड लगाया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	**लो0नि0वि0** राज्य में लो0नि0वि0 के पास कुल 9,345 किमी0 सड़कें (राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग) हैं, जिनमें से किमी0 2827.62 पर आईआरसी स्टेन्डर्ड के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही की गई है। **एन0एच0(लो0नि0वि0)** एन0एच0(लोनिवि) के पास कुल 2091. 34 किमी0 सड़के हैं, जिनमें से 1622. 835 किमी0 पर आईआरसी स्टैण्डर्ड के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही की गयी है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						एन0एच0ए0आई0 एनएचएआई के अन्तर्गत कुल 380 किमी0 सड़के है, जिनमें से 230 किमी0 पर आईआरसी स्टैण्डर्ड के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनेजेज की कार्यवाही की गई है। **एन0एच0आई0डी0सी0एल0 / बी0आर0ओ0** एनएचआईडीसीएल / बीआरओ के पास उपलब्ध 483 किमी0 सड़के हैं, जिनके अन्तर्गत आईआरसी स्टैण्डर्ड के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनेजेज की निरन्तर कार्यवाही की जायेगी।
3	सभी राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाना और ऑडिट रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के अनुसार सड़क सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	**लो0नि0वि0** राज्य में लो0नि0वि0 के पास कुल 9345 किमी0 (राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग) हैं, जिनमें से 3241.986 किमी0 सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष 6103.014 किमी0 में रोड सेफ्टी ऑडिट हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही गतिमान है। रोड सेफ्टी ऑडिटर्स द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						<u>एन0एच0(लो0नि0वि0)</u> एन0एच0(लो0नि0वि0) के अन्तर्गत कुल 2091.34 किमी0 सड़के हैं, जिनमें से 497.655 किमी0 का डी0पी0आर0/ डिजाइन स्टेज पर रोड़ सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष 1593. 69 किमी0 में रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य गतिमान है। **<u>एन0एच0ए0आई0</u>** एन0एच0ए0आई0 के अन्तर्गत कुल 380 किमी0 सड़के हैं, जिनमें से 380 किमी0 का डी0पी0आर0/डिजाइन स्टेज पर रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। 188.32 किमी0 में 04 लेन का चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कन्स्ट्रक्शन/ओपगीन स्टेज का ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष 191.729 किमी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। **<u>एन0एच0आई0डी0सी0एल0/ बी0आर0ओ0</u>** एन0एच0आई0डी0सी0एल0/ बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत कुल 483 किमी0 सड़के हैं, जिनमें से 483 किमी0 का

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						डी0पी0आर0/डिजाइन स्टेज पर रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है।
4	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	2019, 2020 एवं 2021 में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हिकरण	2019, 2020 एवं 2021 में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हिकरण	राज्य में वर्ष (2013, 2014, 2015), (2014, 2015, 2016) एवं (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं वर्ष 2019, 20, 2021) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट विवरण निम्नवत् हैः– **लो0नि0वि0** लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 39 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 24 में लघुकालीन एवं 15 में दीर्घकालीन सुधार किये जा चुके है। दीर्घकालीन सुधार हेतु अवशेष 15 ब्लैक स्पॉट पर सुधार की कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0(लो0नि0वि0)** एन0एच0 के अन्तर्गत कुल 44 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 25 में दीर्घकालीन सुधार एवं 19 में लघुकालीन सुधार किये जा चुके है। दीर्घकालीन सुधार हेतु अवशेष 25 ब्लैक स्पॉट की कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0ए0आई0** एन0एच0आई0 के अन्तर्गत कुल 75

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 54 में दीर्घकालीन सुधार 21 स्थलों में लघुकालीन सुधार किये जा चुके है। दीर्घकालीन सुधार हेतु अवशेष 21 ब्लैक स्पॉट की कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0आई0डी0सी0एल0** एन0एच0आई0डी0सी0एल0/बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत कुल 01 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिसमें से 01 में दीर्घकालीन सुधार पूर्ण किया जा चुका है। **बी0आर0ओ0** बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत कुल 03 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये है, जिसमें से 03 स्थलों में दीर्घकालीन सुधार पूर्ण किया जा चुका है।
5	ब्लैक स्पॉट के चिन्हिकरण, सुधारीकरण एवं अनुश्रवण हेतु प्रोटोकाल बनाया जाना एवं उसके अनुसार कार्यवाही किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	राज्य मार्ग/ओ0एम0आर0/ एम0डी0आर0 के सम्बन्ध में प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है।
6	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु जनपदवार दुर्घटनाओं एवं मृतकों के	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL	निरन्तर	निरन्तर	जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से कुल 2505 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनका विवरण

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	डाटा का विश्लेषण करना और उसके आधार पर सड़कों में सुधार हेतु कार्यवाही करना।		बी0आर0ओ0 / जिला सड़क सुरक्षा समिति			निम्नवत् हैः– **लो0नि0वि0** लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1924 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 1107 में सुधार की कार्यवाही कर ली गयी है। अवशेष में सुधार की कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0(लो0नि0वि0)** एन0एच0 के अन्तर्गत कुल 443 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 381 में सुधार की कार्यवाही कर ली गई है। अवशेष में कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0ए0आई0** एन0एच0आई0 के अन्तर्गत कुल 79 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 79 स्थलों में सुधार की कार्यवाही कर ली गई है। **बी0आर0ओ0** बी0आर0ओ0 के अन्तर्गत कुल 59 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित किये गये है, जिनमें सुधार की कार्यवाही गतिमान है।
7	राज्य राजमार्गों से मिलने वाले छोटे मार्गों के जंक्शनों	लोक निर्माण विभाग	ए0एन0एच0 (लो0नि0वि0)	निरन्तर	निरन्तर	**लो0नि0वि0** लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 2439

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	का विकास।		NHIDCL बी0आर0ओ0 जिला सड़क सुरक्षा समिति			जंक्शन चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 753 में सुधार की कार्यवाही कर ली गई है। अवशेष में सुधार की कार्यवाही गतिमान है।
8	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2018 के अनुपालन में प्रत्येक नई सड़क जिसकी लम्बाई 5 किमी0 से अधिक है, का डिजाईन स्टेज ऑडिट कराया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0	मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।	मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।	विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या–80/76 याता(क)/2018 दि0 17–01–2018 के द्वारा सभी सम्बन्धितों को अनुपालन हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
9	शहरी क्षेत्र में पैदल यात्रियों/वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा स्कूली बच्चों हेतु सुरक्षित फुटपाथ की व्यवस्था करना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0 जिला सड़क सुरक्षा समिति	निरन्तर	निरन्तर	**<u>लो0नि0वि0</u>** लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 48.13 किमी0 में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ निर्मित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये है, जिनमें से 22.87 किमी0 में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ निर्मित किये जा चुके है। अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है। **<u>एन0एच0 (लो0नि0वि0)</u>** एन0एच0 के अन्तर्गत कुल 47.08 किमी0 में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ निर्मित किये जाने हेतु फुटपाथ निर्मित किये जा चुके है। अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						<u>एन0एच0ए0आई0</u> एन0एच0ए0आई0 के अन्तर्गत कुल 204.28 किमी0 में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ निर्मित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये है, जिनमें से 146.055 किमी0 में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ निर्मित किये जा चुके है। अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है। **<u>एन0एच0आई0डी0सी0एल0</u>** एनएचआईडीसीएल के अन्तर्गत रा0रा0 मार्ग संख्या– 07 के किमी0 368.00 से 468.00 किमी0 तक के ईपीसी अनुबन्ध में फुटपाथ निर्माण का प्राविधान है।
10	राजमार्गों पर बस्तियों के निकट Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0 जिला सड़क सुरक्षा समिति	निरन्तर	निरन्तर	आईआरसी मानकों के अनुसार समस्त Lower Hierarchy मार्गों पर आवश्यकता अनुरूप ट्रैफिक कामिंग मेजर्स स्थापित किये जा रहे है।
11	राज्य राजमार्गों पर ट्रक ले–बाई, बस बे–बाई एवं बस शेल्टर्स का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0 जिला सड़क सुरक्षा समिति	स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित स्थलों पर कार्यवाही	**<u>एन0एच लो0नि0वि0</u>** रा0रा0मार्ग–125 में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत 02 ट्रक ले–बाई, 10 बस–ले–बाई/बस शेल्टर्स एवं 10 ब्यू प्वाइंट का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–107 (पुराना

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						109) के किमी0 0.000 से 73.600 के मध्य चारधाम परियोजना (EPC Mode) के अन्तर्गत निर्माण कार्य गतिमान है, जिसमें 8 स्थानों पर ट्रक ले–बाई, बस ले–बाई एवं बस शेल्टर्स का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–134 (पुराना 94) के किमी0 0.000 से 24.300 एवं किमी0 49.000 से 70.300 के मध्य चारधाम परियोजना (EPC Mode) के निर्माण कार्य गतिमान है, जिसमें 14 स्थानों पर बस शेल्टर्स तथा 10 स्थानों पर बस ले–बाई का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **एन0एच0ए0आई0** एन0एच0ए0आई0 के अन्तर्गत कुल 380.00 किमी0 सड़कों में से 336.08 किमी0 में दो लेन को चार लेन में परिवर्तित करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत 15 ट्रक ले–बाई बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 12 ट्रक ले–बाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष 03 ट्रक ले–बाई का कार्य प्रगति पर है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						<u>एन0एच0आई0डी0सी0एल0</u> एनएचआईडीसीएल के अन्तर्गत रा0रा0 मार्ग संख्या–07 के किमी0 368.00 से 468.00 तक (EPC Mode) अनुबन्ध के अनुसार 50 बस शेल्टर्स तथा 02 ट्रक ले–बाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12	लम्बी दूरी के वाहन चालकों के लिए राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर उच्च मार्ग सुविधा केन्द्र विकसित किये जाय एवं चालकों को विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस हेतु परिवहन व्यवसायियों को शिक्षित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL बी0आर0ओ0 जिला सड़क सुरक्षा समिति	निरन्तर	निरन्तर	**<u>एन0एच0 (लो0नि0वि0)</u>** राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–125 में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत 03 रेस्ट एरिया का निर्माण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–107 (पुराना 109) के किमी0 0.000 से 73.600 के मध्य चारधाम परियोजना (EPC Mode) के अन्तर्गत कार्य गतिमान हैं, जिसमें 06 View Point & 02 Rest Area का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 04 View Point पर कार्य गतिमान है। चारधाम परियोजना के अन्तर्गत रा0मा0 संख्या–58 के किमी0 228.400 से किमी0 368.00 के मध्य कार्य गतिमान है। जिसमें 01 View Point (किमी0 253. 200) और 02 Rest Area (किमी0 259. 250) एवं (किमी0 319.550) का निर्माण

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						किया जाना प्रस्तावित है। **<u>एन0एच0ए0आई0</u>** राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72(ए) छुटमुलपुर–गनेशपुर भाग के किमी0 14+200 (बांए) व 14+650 (दांए) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 73 रूड़की–छुटमलपुर –गनेशपुर भाग के किमी0 34+680 (बांए) व 34+810 (दांए) में रेस्ट एरिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, उत्तराखण्ड राज्य के बार्डर के समीप स्थित है। **<u>एन0एच0आई0डी0सी0एल0</u>** एन0एच0आई0डी0सी0एल0 के अन्तर्गत रा0रा0 मार्ग संख्या–07 के किमी0 368. 00 से 468.00 तक के ईपीसी अनुबन्ध के अनुसार 01 चालक विश्राम गृह प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
13	विभागीय अभियन्ताओं का सड़क सुरक्षा ऑडिट से सम्बन्धी प्रशिक्षण का विवरण	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL NHAI, बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	**<u>लो0नि0वि0</u>** लो0नि0वि0 में कुल कार्यरत अभियन्ता–ओं की संख्या–1274 है, जिसमें से 521 अभियन्ताओं ने रोड सेफ्टी/रोड़ सेफ्टी ऑडिट (लेवल–1, लेवल–2) का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
14	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा क्रैश बैरियर लगाये जाने का विवरण	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL NHAI, बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	**<u>लो0नि0वि0</u>** राज्य में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 9345 किमी0 सड़के (राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग) है, जिनमें से क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु कुल चिन्हित किमी0 3719.55 है, जिसके सापेक्ष किमी0 2120.04 में क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य पूर्ण है। अवशेष किमी0 में क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। **<u>एन0एच0 (लो0नि0वि0)</u>** एन0एच0 लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 2091.34 किमी0 सड़के हैं, जिनमें से क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु कुल चिन्हित किमी0 843.771 है, जिसके सापेक्ष किमी0 622.50 में क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य पूर्ण हैं। **<u>एन0एच0ए0आई0</u>** एन0एच0ए0आई0 के अन्तर्गत 380.00 किमी0 सड़कें हैं, जिनमें से क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु कुल चिन्हित किमी0 231.93 है, जिसके सापेक्ष किमी0 183. 70 में क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य पूर्ण है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						<u>एन0एच0आई0डी0सी0एल0 / बी0आर0ओ0</u> एन0एच0आई0डी0सी0एल0 / बी0आर0 ओ0 के अन्तर्गत कुल 483.00 किमी0 सड़के है, जिनमें से क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु कुल चिन्हित किमी0 120.00 है, जिसके सापेक्ष किमी0 104.951 में क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
15	क्षतिग्रस्त मार्गों पर पैच मरम्मत का विवरण	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0 (लो0नि0वि0) NHIDCL NHAI, बी0आर0ओ0	निरन्तर	निरन्तर	**<u>लो0नि0वि0</u>** लो0नि0वि0 के क्षेत्रान्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार पैच मरम्मत हेतु कुल चिन्हित 5238.97 किमी0 है, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर तक 4656.45 किमी0 में पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष में कार्य गतिमान है। **<u>एन0एच0 (लो0नि0वि0)</u>** एन0एच0 लो0नि0वि0 के क्षेत्रान्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार पैच मरम्मत हेतु कुल चिन्हित 605.55 किमी0 है, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर तक 533.62 किमी0 में पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष में कार्य गतिमान है।

स्तम्भ–5 प्रवर्तन कार्यों का सुदृढ़ीकरण एवं यातायात नियमों का अनुपालन कराया जाना

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	दो पहिया वाहन चालकों के लिए सम्पूर्ण राज्य में हेल्मेट पहनना अनिवार्य करना एवं इसका प्रचार–प्रसार करना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	वर्ष 2020 में बिना हेल्मेट दुपहिया वाहनों के विरूद्ध की गयी प्रवर्तन कार्यवाही के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये जनपदों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।	निरन्तर	परिवहन/पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2020 में 63511 वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2021 में बिना हेल्मेट दुपहिया वाहन चलाने वाले 62766 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
2	**प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण**					
	2(1) वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुरूप प्रवर्तन दलों का गठन	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	05 जनपदों (हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी तथा उत्तरकाशी) में अलग से यातायात पुलिस कार्या0 स्थापित किये गये है। राजमार्गों पर हाईवे ट्रैफिक पैट्रोलिंग कार नियुक्त करना।	निरन्तर कार्यवाही	पुलिस विभाग द्वारा 03 जनपदो में 04 रोड सेफ्टी पुलिस स्टेशन (देहरादून–1, हरिद्वार–1, उधमसिंह नगर–2) स्थापित किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा 04 जनपदों में 06 सीपीयू यूनिट का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						कार्यवाही हेतु हाईवे ट्रैफिक पैट्रोलिंग मोबाईल यूनिट नियुक्त की जाने की कार्यवाही प्रगति में है।
	2(2) प्रवर्तन दलों को प्रवर्तन कार्य हेतु आधुनिक उपकरण यथा– इन्टरसेप्टर वाहन, एल्कोमीटर, स्पीड रडारगन, ए0एन0पी0आर कैमरें आदि उपलब्ध कराना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	1. पुलिस विभाग द्वारा क्रय की गयी 8 बुलेट मोटर साईकिल को इण्टरसेप्टर मोटर–साईकिल में परिवर्तित करना। 2. पुलिस विभाग द्वारा हाईवे पैट्रोलिंग हेतु 15 बुलेरो वाहन क्रय किया जाना। 3. परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन दलों हेतु स्पीड रडार गन युक्त 02 दुपहिया इंटरसेप्टर वाहन का क्रय। 4. परिवहन विभाग द्वारा टास्क फोर्स हेतु 03 बोलेरो वाहनों का क्रय।	1– 13 स्पीड लेजर गन क्रय किया जाना। 2– 03 अदद इण्टरसेप्टर वाहन क्रय किया जाना	परिवहन विभाग द्वारा 08 इन्टरसेप्टर, 09 वाहन एवं 40 एल्कोमीटर क्रय किये गये है। 1. पुलिस विभाग द्वारा सिटी पैट्रोल यूनिट के प्रयोगार्थ 13 बुलेट मोटर साईकिल क्रय कर जनपदों को आवंटित की गयी है। 2. पुलिस विभाग द्वारा हाइवे पैट्रोलिंग हेतु 08 बुलेट क्रय की गयी है। 3. पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से 17 ब्रीथ एनालाईजर क्रय कर जनपदों को आवंटित किये गये हैं।
	2(3) प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	निरन्तर	निरन्तर	1. पुलिस विभाग द्वारा सी0पी0यू0 यूनिट के 89

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।					कर्मियों को 21 दिवस का बेसिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 2. पुलिस विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपदों से 29 उपनिरीक्षकों को i-RAD (Integrated Road Accident Database) के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 3. राज्य से 08 कर्मियों को Road Accident Management & Accident Investigation का 01 दिवसीय online तथा 20 कर्मियों को 03 दिवसीय offline प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
	2(4) राज्य की सीमाओं पर स्थित 11 चैकपोस्टों में स्पीड रडार गन युक्त ए0एन0पी0 आर0 कैमरें स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में	परिवहन विभाग	–	अनाधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु राज्य की सीमाओं पर स्थित 11 चैकपोस्टों में स्पीड रडार गन युक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरें	–	–

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
				लगाये जाने की कार्यवाही गतिमान।		
3	प्रवर्तन कार्य के दौरान दुर्घटनाकारक अपराध (ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग, रेड लाईट जम्पिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, भार वाहनों में यात्री को ले जाना, मोबाईल पर बात करना) करने वाले चालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	मा0 समिति के आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु दुपहिया वाहनों में हेल्मेट का प्रयोग न करने एवं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने सम्बन्धी अभियोगों में गत वर्षों में किये गये चालानों के सापेक्ष **15** प्रतिशत तथा वाहन संचालन के समय मोबाईल फोन का प्रयोग करने सम्बन्धी अभियोग में गत वर्ष के सापेक्ष **10** प्रतिशत की वृद्धि करते हुये जनपदों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।	निरन्तर	मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 2021 में कुल **48634** वाहनों का चालान करते हुये **27017** चालक लाईसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।
4	सीट बैल्ट/हैल्मेट सम्बन्धी अपराध में चालानों के प्रशमन से पूर्व चालकों को काउन्सिलिंग कराना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	मा0 समिति के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही गतिमान।	निरन्तर कार्यवाही गतिमान	मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 2021 में 78814 कुल

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						वाहनों का चालान करते हुये 27921 चालकों को काउंसलिंग प्रदान की गई है।
5	पुलिस एवं परिवहन विभाग के चालानों का एकीकृत डाटाबेस स्थापित करना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग/ एन0आई0सी0	1. राज्य में ई–चालान व्यवस्था लागू कर दी गयी है एवं योजना का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। 2. ई–चालान व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाना।	निरन्तर कार्यवाही ई–चालान सिस्टम को अत्याधुनिक बनाना।	परिवहन विभाग के सभी प्रवर्तन दलों एवं चैकपोस्टों पर ई– चालान व्यवस्था लागू कर दी गई है। परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में कुल चालान 62912 के सापेक्ष 28636 ई– चालान (45.51 प्रतिशत) किये गये है तथा वर्ष 2021–2022 में कुल चालान 69138 के सापेक्ष 44202 ई– चालान (63.93 प्रतिशत) किये गये है। पुलिस विभाग द्वारा ई–चालान व्यवस्था लागू कर दी गई है। जनपदों को 1450 ई–चालान डिवाईस वितरित की गयी

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						है। ई–चालान डिवाईस से चालानी कार्यवाही की जा रही है, चालानों का डाटाबेस साफ्टवेयर में स्वतः तैयार हो रहा है। 2. वर्ष 2021 में 1,52,381 ई–चालान किये गये हैं। संयोजन शुल्क के रूप में 7.55 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी है।
6	मुख्य नगरों के ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत चौराहों पर सीसीटीवी, रेड लाईट, कैमरें एवं अन्य आधुनिक उपकरण की स्थापना किया जाना।	पुलिस विभाग	–	1. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में एस0वी0डी0एस0/आर0एल0वी0डी0 कैमरे अधिष्ठापित करना। 2. विभिन्न स्थानों पर 120 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना।	निरन्तर	स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत देहरादून शहर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग के दृष्टिगत हेतु 49 चौराहो/तिराहों पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेण्ट सिस्टम के अन्तर्गत ट्रैफिक सिग्नल लाईट अधिष्ठापित की गयी हैं, जिसमें से 15 चौराहो/तिराहों पर 51 रडार, 32 स्थानों पर ECB (Emergency call box), 21 चौराहों/

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
						तिराहों पर PAS (Public Announcement System), 66 स्थानो पर PIS(Public Information System), 18 TMS (Traffic Management system) अधिष्ठापित किये हैं। देहरादून जनपद में स्थापित SVDS/RLVD/ ANPR कैमरों से वर्ष 2021 में 26340 चालान किये गये।
7	राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परिवहन निगम की बसों में जी0पी0एस0 की स्थापना।	परिवहन विभाग	–	प्रथम चरण में परिवहन निगम की 700 बसों में जी0पी0एस0 की स्थापना।	–	–

स्तम्भ–6 शिक्षा एवं जागरूकता

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	स्कूलों, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सड़क सुरक्षा शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए सुधार करना और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग	पुलिस/ परिवहन विभाग	1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाना। 2. राज्य में कोविड–19 का प्रभाव कम होने की स्थिति में राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन करना 3. एफ0एम–93.05 पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना। विभागीय फेसबुक पेज के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करना। 4. परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।	निरन्तर	1. दिनांक **18 जनवरी, 2021 से दिनांक 17 फरवरी 2021** तक सम्पूर्ण राज्य/जनपदों में अन्य सम्बन्धित विभाग/ स्टैक होल्डर्स यथा परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के सहयोग से **सड़क सुरक्षा माह** आयोजित किया गया।
2	स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक	शिक्षा विभाग	परिवहन /पुलिस विभाग	पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना।	छात्रों को शिक्षित किया जाना।	परिवहन विभाग द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं में

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	करने की दृष्टि से कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय पर चैप्टर सम्मिलित किया जाना।					सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से ''**सड़क सुरक्षा एक पहल**'' नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका प्रकाशन के पश्चात् राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पुस्तिका का वितरण करते हुए छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा।
3	विभिन्न कार्यक्रमों यथा–रैली, स्ट्रीट प्ले, पपेट शो, सेमिनार आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना।	शिक्षा विभाग	परिवहन/ पुलिस विभाग	1. जनपद स्तर के विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता हेतु गैफिटी आर्ट /वॉल पेन्टिंग हेतु। 2. सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सांगीतिक गतिविधियों के माध्यम से जन–जागरूकता सामग्री निर्माण कार्यशाला का प्रस्ताव। 3. सड़क सम्बन्धित गीतों की रिकार्डिंग एवं क्लिप निर्माण	निरन्तर	वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग द्वारा में सड़क कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा रैली, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सेमिनार आदि का आयोजन किया गया है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
				कार्यशाला का बजट। 4. विद्यालयों, मोटर यूनियनों सार्वजनिक स्थलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।		
5	व्यवसायिक वाहन चालकों का नियमित दृष्टि/स्वास्थ्य परीक्षण।	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	वर्ष में एक बार	वर्ष में एक बार	–
6	दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तत्काल प्रथम उपचार उपलब्ध कराना और घायल को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न न किया जाना। इस हेतु चिकित्सकों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना।	पुलिस विभाग	स्वास्थ्य विभाग	निर्देश प्रसारित	निर्देशो के अनुपालन का अनुश्रवण	इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने और गुड सेमेरिटन नियमों का प्रचार–प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
7	तकनीकी (फेसबुक, व्हाटसप आदि) का प्रयोग करते हुये विभाग एवं सड़क प्रयोगताओं के	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	फेसबुक पेज, व्हाटसप का बनाया जाना।	क्रियान्वयन	परिवहन विभाग द्वारा जनसामान्य के मध्य जागरूकता हेतु फेसबुक पेज बनाया गया है, जिस

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	मध्य सम्बाद स्थापित कराया जाना और सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार किया जाना।					पर सड़क सुरक्षा सामग्री पोस्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की वैबसाईट पर रोड सेफ्टी पृष्ठ के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा फिल्मों/ मैसेज अपलोड किये गये हैं। यातायात निदेशालय द्वारा जनसामान्य के मध्य जागरूकता हेतु फेसबुक पेज, ट्वीटर पेज बनाया गया है, जिस पर सड़क सुरक्षा सामग्री पोस्ट की जाती है। पुलिस विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रचार–प्रसार हेतु फेसबुक एकाउंट बनाये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा व्हाटसप के माध्यम से भी समय–समय पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जा रही है।

स्तम्भ–7 आकस्मिक सहायता/सुविधा

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
1	सरकारी चिकित्सालयों में ट्रॉमा सुविधाओं का विकास। प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर ट्रॉमा केयर सेन्टर विकसित किया जाना एवं उनमें आवश्यक उपकरणों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	स्वास्थ्य विभाग	–	निर्माण कार्य	जनपद रूद्रप्रयाग, नैनीताल एवं हल्द्वानी में ट्रामा सेन्टर भवन निर्माणाधीन प्रस्तावित है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्रियाशील कर दिया जायेगा।	उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थापित/क्रियाशील ट्रॉमा सेन्टरों का विवरणः– **देहरादून जनपद** **(1)** एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश। **(2)** सामु0स्वा0केन्द्र विकासनगर। **अल्मोड़ा जनपद** **(1)** गोविन्द सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत। **(2)** बेस चिकित्सालय,अल्मोड़ा । **हरिद्वार जनपद** **(1)** संयुक्त चिकित्सालय रूडकी। **उधमसिंह नगर जनपद** **(1)** संयुक्त चिकित्सालय काशीपुर। **चमोली जनपद** **(1)** जिला चिकित्सालय गोपेश्वर। **(2)** सामु0स्वा0केन्द्र कर्णप्रयाग। **उत्तरकाशी जनपद** **(1)** जिला चिकित्सालय उ0का0। **बागेश्वर जनपद** **(1)**जिला चिकित्सालय बागेश्वर। **नैनीताल जनपद** (1) मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
2	बचाव एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एम्बुलेन्स फ्लीट तैयार किया जाना और एकल टोलफ्री हैल्पलाईन नम्बर की स्थापना।	चिकित्सा विभाग	–	108 सर्विस का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना।	उक्त सुविधाओं की समीक्षा किया जाना।	108 एवं 104 टोलफ्री हैल्पलाईन नम्बर की स्थापना की जा चुकी है। एकल टोलफ्री हैल्पलाईन के लिए जनपदीय अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3	राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निकट एम्बुलेन्स एवं क्रेन आदि की व्यवस्था करना।	चिकित्सा विभाग	पुलिस विभाग	पुलिस एवं चिकित्सा विभाग को निर्देश निर्गत किया जाना।	उक्त सुविधाओं की समीक्षा किया जाना।	उत्तराखण्ड राज्य में 135 विभागीय एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिनका प्रयोग दुर्घटनाओं में घायल रोगियों को तत्काल बिना किसी विलम्ब के उपचार कराये जाने में किया जाता है।
4	चिकित्सकों व तकनीकीशियनों को प्राथमिक उपचार एवं आकस्मिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	–	प्रस्तावित	निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सकों एवं तकनिशियनों को आकस्मिक स्थिति के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
5	राजमार्गों के निकट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवियों को प्रथम उपचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	–	निर्देश प्रसारित	कार्य की समीक्षा किया जाना।	राजमार्गो के निकट कार्य करने वाले व्यक्तियों स्वयंसेवी संस्थाओं को आकस्मिक सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में रेड क्रॉस द्वारा द्वारा प्रथम उपचार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निरन्तर प्रथम उपचार प्रशिक्षण कराया जाता है।
6	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	निर्देश प्रसारित	कार्य की समीक्षा किया जाना।	परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर मांग किये जाने पर विभाग द्वारा

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
	सभी भारी वाहन चालकों को प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और वाहनों में प्रथम उपचार पेटिका अनिवार्य रूप से लगवाया जाना।					भारी वाहन चालको को प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। तथा वाहनों में प्रथम उपचार पेटी अनिवार्य रूप से रखे जाने सम्बन्धी निर्देश दिये जा रहे है।
7	दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाना।	चिकित्सा विभाग	जिला सड़क सुरक्षा समिति	निर्देश प्रसारित	अनुश्रवण	विभाग द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु लगातार जागरूकता अभियान संचालित किये जा रहे है।
8	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र में एक मॉडल इमरजेन्सी केयर सुविधा का विकास करना।	चिकित्सा विभाग	–	–	–	उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलो में जिला चिकित्सालयों, प्रा0स्वा0 केन्द्रों, सामु0स्वा0केन्द्रों एवं ट्रॉमा सेन्टरों में 108 आपात कालीन सेवा एवं विभाग द्वारा राज्य में 135 विभागीय एम्बुलेस की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
9	राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निकट एम्बुलेन्स एवं क्रेन आदि की व्यवस्था करना।	पुलिस/ चिकित्सा विभाग	–	पुलिस विभाग द्वारा राज्य में नो पार्किंग से वाहनों को हटाने एवं दुर्घटना ग्रस्त वाहनों की रिकवरी	निरन्तर कार्यवाही	आवश्यकता पड़ने पर निजी क्रेन सर्विस की सेवा प्राप्त की जाती है।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	वर्ष 31–12–2022 तक	वर्ष 31–12–2023 तक	अभ्युक्ति
				के लिये 59 क्रेन मोबाईल आवंटित।		
10	स्वास्थ्य विभाग में आपातकालीन 187 एम्बुलेंस वाहनों में तैनात चालकों व पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान करना।	चिकित्सा विभाग	–	प्राथमिक स्तर पर 187 एम्बुलेंस वाहनों में तैनात चालकों व पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	निरन्तर	–

नोटः–उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में सिचाई विभाग, वन विभाग, हाईडिल, ग्रामीण अभियन्ता विभाग एवं बी0एच0ई0एल0 की सड़कों पर भी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभागों की कुल मार्गों की संख्या/लम्बाई ज्ञात किये जाने एवं सम्बन्धित मार्गों पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु भी उपरोक्त अवधि में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

2. मुख्य मार्गों एवं अन्य मार्गों पर सड़क के किनारों पर विधुत/टेलीफोन के पॉल एवं सड़क के किनारे पेड़ों पर रात्रि में घटित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु रिफेक्टिव टेप लगाये के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।